[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–19 एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026, कहा जा सकता है।

(2) धारा 2 से 4 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ हेतु भिन्न–भिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 15 का संशोधन।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए, प्रदायकर्ता द्वारा धारा 34 के उपबंधों के अनुसार कोई जमा पत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट के कारण इनपुट कर प्रत्यय को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) में, "दोनों में कमी पाई जाती है" शब्दों के बाद, "या जहां धारा 15 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट छूट दी जाती है" शब्द, कोष्ठक, वर्ण तथा अंक रखे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उप–धारा (6) में, "मालों या सेवाओं या दोनों की शून्य दर के मद्दे प्रतिदाय के दावे" शब्दों के बाद, "या उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन अनुमत उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय" शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (14) में, "उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों से पूर्व, "मामलों, जहां कर के भुगतान के साथ भारत से बाहर निर्यात किए गए मालों के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया गया है, से भिन्न" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का केन्द्रीय अधिनियम 4) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :–

(i) बिक्री के बाद मिलने वाली छूट को खास तौर पर संबंधित बीजक से जुड़े अनुबंध से जोड़ने की ज़रूरत को खत्म करने और धारा 34 के अधीन क्रेडिट नोट जारी करने का ज़िक्र करने के लिए, जब प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय को उलट किया जाना है के लिए अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (3) में संशोधन करना।

(ii) अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करना ताकि बिक्री के बाद की छूट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने के मकसद से, धारा 15 की उप–धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छूट का ज़िक्र इस धारा में शामिल किया जा सके।

(iii) अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (6) में संशोधन करना ताकि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से मिलने वाले प्रतिदाय पर भी अनंतिम प्रतिदाय के प्रावधान लागू किए जा सके।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 27 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

अनुबंध

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से उद्धरण

कराधेय प्रदाय का मूल्य।

15. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) प्रदाय के मूल्य में कोई ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,–

(क) * * * * *

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि–

(i) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उससे पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(ii) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के कारण माना जा सकता है, जिसकी राशि को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

जमा और नामे पत्र।

34 (1) जहां किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या भुगतानयोग्य कर से अधिक पाया जाता है, या जहां प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापस किया जाता है, या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करते हुए किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी कर सकता है।

कर प्रतिदाय।

54. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की शून्य दर के मद्दे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनन्तिम आधार पर इस प्रकार दावा की गई राशि, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा।

(7) * * * * *

(8) * * * * *

(9) * * * * *

(10) * * * * *

(11) * * * * *

(12) * * * * *

(13) * * * * *

(14) इस धारा में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को भुगतान नहीं किया जाएगा यदि राशि एक हजार रूपए से कम है।

12829—H.V.S.—H.G.P., Pkl.